20

संख्या– 185/VI-2/2013–2(12)2009

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2013

विषयः– जनपद चम्पावत में आडिटोरियम के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3586/सं0नि0उ0/दो–3(नि0का0)/2012–13 दिनांक 14 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या–116/VI–2/2008–2(1)2007 दिनांक 24 मार्च, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत में आडिटोरियम के निर्माण हेतु संस्तुत धनराशि ₹189.28 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹154.28 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि में से ₹50.00 लाख (पचास लाख) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नांकित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसके व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाय। स्वीकृत व्यय में मिव्ययता नितान्त आवश्यक है। किसी भी दशा में धनराशि आहरण परिव्यय एवं बजट से अधिक न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जिसका वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण व्यय सम्भव हो। कार्यदायी संस्था के पास धनराशि अनावश्यक पार्किंग न हो, यह विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....(2)

4– कार्य करने से पूर्व मदवार दी विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमादित करना आवश्यक होगा।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। उक्त निर्माण कार्य की सतत् मानीटरिंग सुनिश्चित करते हुए निर्धारिण समयसारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

8– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

....(3)

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– आडिटोरियम के रख–रखाव हेतु पद का का सृजन नही किया जायेगा तथा उक्त की व्यवस्था भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–11, लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिषद कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0–348 (P)/xxvii(3)/2012–13 दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति तथा संलग्न एलाटमेंन्ट आई डी0संख्या– S1303110707 दिनांक 28 मार्च, 2013 के द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 185/VI-2/2013–2(12)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सम्बन्धित संस्था।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Culture (S006)

टन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1303110707

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Mar-2013

HOD Name - Director Culture (4780)

1: लेखा शीर्षक - 4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04 - कला और संस्कृति

800 - अन्य व्यय

03 - सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र /विद्यालय/आडिटोरि

00 - सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र /विद्यालय/आडिटोरियम

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	18436000	5000000	23436000
	18436000	**5000000**	**23436000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000

(सुमोलश्री पाथरी)
उप सचिव
संस्कृति विभाग